NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 9-04-2026

विषय सूची

एलिफेंटा गुफाएँ

भारत–तुर्किये वार्ताएँ कूटनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा भारत में भूमि असमानता पर रिपोर्ट जारी

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को फॉरेंसिक लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश

रूफटॉप सौर ऊर्जा: राज्यों के लिए प्रोत्साहन योजना की योजना बना रही है सरकार

संक्षिप्त समाचार

सॉइल सखियाँ(Soil Sakhis)

FSSAI पशु आहार का विनियमन नहीं कर सकता

मंत्रिमंडल द्वारा फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरक सब्सिडी में 12% वृद्धि को स्वीकृति प्रदान

11 वर्ष पूर्ण: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

स्किल्स आउटकम्स फंड

उल्कापिंड (Meteorites)

जम्मू और कश्मीर में झीलों का क्षरण

एक्सरसाइज साइक्लोन-IV

एलिफेंटा गुफाएँ

संदर्भ

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा एलीफेंटा द्वीप पर किए गए एक प्रमुख उत्खनन में 1,500 वर्ष पुराना सीढ़ीनुमा जलाशय उजागर हुआ है।

सीढ़ीनुमा जलाशय की प्रमुख विशेषताएँ

- उत्खनित संरचना एक T-आकार का सीढ़ीनुमा जलाशय है, जो योजनाबद्ध स्थापत्य डिज़ाइन को दर्शाता है।
- जलाशय की लंबाई लगभग 14.7 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 6.7 मीटर से 10.8 मीटर तक भिन्न है।
- उत्खनन में पाँच मीटर गहराई तक कार्य किया गया है, जिसमें पत्थर के खंडों से निर्मित 20 सुव्यवस्थित सीढ़ियाँ उजागर हुई हैं।

एलीफेंटा गुफाएँ

- एलीफेंटा गुफाएँ, एलीफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, जिसे ऐतिहासिक रूप से घारापुरी (अर्थात् "गुफाओं का नगर") कहा जाता था। ये गुफाएँ मुंबई बंदरगाह में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।
- "एलीफेंटा" नाम पुर्तग़ालियों ने 16वीं शताब्दी में दिया था, जब उन्होंने द्वीप के समीप एक विशाल पत्थर का हाथी देखा। स्थानीय निवासियों द्वारा प्रयुक्त मूल नाम घारापुरी था।
- ऐतिहासिक रूप से यह द्वीप अनेक राजवंशों से जुड़ा रहा है।
  - महिष्मति के कलचुरी राजवंश को 6वीं शताब्दी ईस्वी में इन गुफाओं का प्रमुख संरक्षक माना जाता है, जिसका समर्थन राजा कृष्णराजा के हाल ही में प्राप्त सिक्कों से होता है।
  - इससे पूर्व इस क्षेत्र पर कोंकण मौर्य शासन करते थे, जिनके बाद चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने इसकी महत्ता बनाए रखी।
- यहाँ कुल सात गुफाएँ हैं, जिनमें से गुफा संख्या 1 (महागुफा) सबसे प्रमुख है।
  - इसमें स्थित 20 फीट ऊँची त्रिमूर्ति प्रतिमा विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
  - यह त्रिमूर्ति शिव को सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक के रूप में प्रदर्शित करती है।

- गुफाएँ डेक्कन ट्रैप संरचना की बेसाल्ट चट्टानों को काटकर निर्मित की गई हैं।

स्रोत: TH

भारत–तुर्किये वार्ताएँ कूटनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत

संदर्भ

- भारत और तुर्किये ने चार वर्षों के अंतराल के बाद विदेश कार्यालय परामर्श (FoC) का 12वाँ दौर आयोजित किया, जो तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का संकेत देता है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्किये ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार-बार कश्मीर मुद्दा उठाया।
  - संबंध उस समय और बिगड़ गए जब **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को सैन्य एवं राजनयिक समर्थन दिया।
- भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप तुर्किये को राजनयिक ब्रीफिंग से बाहर रखा और तुर्किये पर्यटन एवं व्यापार के बहिष्कार की सार्वजनिक मांगें सामने आईं।

- परिणामस्वरूप जून 2025 में तुर्किये आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या विगत वर्ष की तुलना में **37% घट गई**।
    - भारत और तुर्किये के बीच द्विपक्षीय व्यापार घटकर **8.71 अरब अमेरिकी डॉलर** रह गया, जो आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय संकुचन को दर्शाता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- तुर्किये क्षेत्रीय राजनयिक पहलों में सक्रिय रहा है, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ परामर्श शामिल हैं।
- भारत ने भी हाल ही में अज़रबैजान के साथ संवाद किया है, यद्यपि पहले पाकिस्तान को समर्थन देने के कारण तनाव रहा था।
- चीन और मलेशिया जैसे देशों के साथ भारत की हालिया पहल उसके विदेश नीति दृष्टिकोण में व्यापक पुनर्संतुलन को दर्शाती है।
- ये घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत अतीत के मतभेदों के बावजूद व्यवहारिक रूप से जुड़ने को तैयार है।

भारत के लिए तुर्किये का महत्व

- तुर्किये यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित है, जिससे भारत की संपर्क और भू-राजनीतिक पहुँच के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में तुर्किये का महत्व है, जहाँ सहयोग भारत के वैश्विक हितों को समर्थन दे सकता है।
- इस्लामी जगत में तुर्किये की भूमिका भारत के लिए मुस्लिम-बहुल देशों के साथ राजनयिक जुड़ाव प्रबंधन में प्रासंगिक है।

भारत–तुर्किये संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **आर्थिक संबंध**: भारत और तुर्किये के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता 1973 में हस्ताक्षरित हुआ।
    - इसके बाद 1983 में भारत–तुर्किये संयुक्त आयोग (JCETC) की स्थापना हेतु समझौता हुआ।
    - द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2021–22 में **10 अरब अमेरिकी डॉलर** पार कर गया और 2022–23 में लगभग **13.88 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
- **संस्थागत ढाँचा**: भारत और तुर्किये ने 2000 में विदेश कार्यालय परामर्श को संस्थागत रूप दिया ताकि नियमित राजनयिक संवाद सुनिश्चित हो सके।
    - आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह सुरक्षा सहयोग का मंच प्रदान करता है, जिसकी अंतिम बैठक 2019 में हुई थी।
    - 2020 में प्रारंभ किया गया भारत–तुर्किये नीति नियोजन संवाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय को सुदृढ़ करता है।
- **मानवीय सहायता**: भारत ने 2023 में विनाशकारी भूकंपों के बाद तुर्किये की सहायता हेतु **ऑपरेशन दोस्त** प्रारंभ किया।
    - तुर्किये में भारतीय प्रवासी समुदाय का अनुमानित आकार लगभग **3,000 व्यक्ति** है।

द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियाँ

- कश्मीर मुद्दे पर मतभेद अब भी प्रमुख तनाव का स्रोत बने हुए हैं।
- पाकिस्तान के साथ तुर्किये के घनिष्ठ रणनीतिक संबंध विश्वास निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- पाकिस्तान को पूर्व सैन्य और राजनयिक समर्थन ने भारत में धारणा का अंतर उत्पन्न किया है।
- घरेलू राजनीतिक विमर्श और नेतृत्व के वक्तव्य द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते रहते हैं।

निष्कर्ष

- भारत–तुर्किये जुड़ाव राजनयिक दृष्टिकोण में एक व्यवहारिक परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ मतभेदों का प्रबंधन टकराव पर प्राथमिकता रखता है।
- विखंडित वैश्विक व्यवस्था में ऐसे जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक स्वायत्तता और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं।

स्रोत: TH

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा भारत में भूमि असमानता पर रिपोर्ट जारी

संदर्भ

- वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के एक कार्यपत्र में ग्रामीण भारत में भूमि असमानता की सीमा और प्रकृति को उजागर किया गया है।
  - यह अध्ययन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें **2.7 लाख गाँवों के 65 करोड़ लोग** शामिल हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **भूमि स्वामित्व का उच्च संकेन्द्रण**: ग्रामीण परिवारों के शीर्ष 10% के पास कुल भूमि का 44% है।
  - शीर्ष 5% परिवारों के पास 32% भूमि है, जबकि शीर्ष 1% के पास अकेले 18% भूमि है, जो अत्यधिक असमानता को दर्शाता है।
- **व्यापक भूमिहीनता**: लगभग 46% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, अर्थात् ग्रामीण भारत का लगभग आधा हिस्सा भूमि को उत्पादक संपत्ति के रूप में उपयोग नहीं कर सकता।
- **गाँव-स्तरीय संकेन्द्रण**: किसी गाँव का सबसे बड़ा भूमिधर औसतन कुल भूमि का 12.4% का मालिक होता है।
  - लगभग 3.8% गाँवों में एक ही भूमिधर 50% से अधिक भूमि पर नियंत्रण रखता है।
- **राज्यवार भिन्नता**: बिहार और पंजाब में भूमि संकेन्द्रण उच्च स्तर पर है।
  - केरल में भूमि असमानता का **जिनी गुणांक** सबसे अधिक है।
  - पंजाब में भूमिहीनता 73% है, इसके बाद बिहार (59%) और मध्य प्रदेश (51%) आते हैं।
  - राजस्थान (34%) और उत्तर प्रदेश (39%) में अपेक्षाकृत कम स्तर है।

भारत में भूमि असमानता के निर्धारक

- **ऐतिहासिक कारक**: ज़मींदारी प्रणाली वाले क्षेत्रों में असमानता अधिक है।
  - पूर्व रियासतों में अपेक्षाकृत कम असमानता है, क्योंकि वहाँ भूमिहीन परिवारों का अनुपात कम है।
- **कृषि कारक**: उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बड़े भूमिधरों का संकेन्द्रण अधिक है।
- उत्तराधिकार कानूनों के कारण छोटे किसानों की भूमि खंडित हुई, जिससे मजबूरी में भूमि बिक्री और बड़े भूमिधरों द्वारा संकेन्द्रण हुआ।
- भूमि सुधारों का अप्रभावी क्रियान्वयन, बेनामी लेन-देन और कागज़ी खंडन ने बड़े भूमिधरों को नियंत्रण बनाए रखने में सहायता की।

भारत में भूमि सुधारों का कानूनी ढाँचा

- **मध्यस्थों का उन्मूलन**: ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियमों के माध्यम से वास्तविक कृषकों को स्वामित्व अधिकार दिए गए।
- **किरायेदारी सुधार**: किराया विनियमन, सुरक्षा और स्वामित्व अधिकार प्रदान करने हेतु लागू किए गए।
  - उदाहरण: पश्चिम बंगाल में **ऑपरेशन बर्गा**।
- **भूमि सीमा अधिनियम**: व्यक्तिगत/पारिवारिक स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय की गई और अधिशेष भूमि भूमिहीनों को वितरित करने का प्रावधान किया गया।
- **भूमि समेकन**: खंडन कम करने और कृषि दक्षता बढ़ाने हेतु पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में लागू किया गया।
- **भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण**: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006**: अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों के भूमि अधिकारों को मान्यता दी गई।

भूमि सुधारों में चुनौतियाँ

- शक्तिशाली भूमिधरों के विरोध ने सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित किया।
- अद्यतन और स्पष्ट भूमि अभिलेखों की कमी से विवाद एवं वाद-विवाद बढ़े।

- किरायेदारी सुधार अधूरे रहे, जिससे कई किरायेदारों को औपचारिक मान्यता और सुरक्षा नहीं मिली।
- जाति-आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक बाधाएँ हाशिए पर वर्तमान समुदायों की भूमि तक पहुँच को सीमित करती रहीं।
- भूमि संविधान के अंतर्गत राज्य विषय है, इसलिए भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में राज्यों की प्राथमिक भूमिका है।

आगे की राह

- हाशिए पर वर्तमान समुदायों के लिए भूमि तक पहुँच सुधारने हेतु विशेष उपाय किए जाने चाहिए।
- भूमि पट्टेदारी ढाँचे और अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण, सिंचाई, तकनीक और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) तक पहुँच देकर समर्थन बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में भूमि असमानता ऐतिहासिक, सामाजिक और संस्थागत कारकों में गहराई से निहित है।
- मुख्य चुनौती केवल असमान वितरण नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों में उच्च स्तर की भूमिहीनता भी है।
- भूमि असमानता का समाधान व्यापक सुधारों, समावेशी नीतियों और भूमिहीन व छोटे किसानों के समर्थन से ही संभव है, जिससे न्यायसंगत ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: IE

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को फॉरेंसिक लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSLs) को सुदृढ़ करने, रिक्त पदों को भरने एवं तीन माह के अंदर लंबित मामलों को निपटाने पर बल दिया गया है।

निर्देश

- MHA ने सभी राज्यों को फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (DFSS) के माध्यम से समन्वय करने के लिए कहा है।
- राज्यों को समयबद्ध फॉरेंसिक रिपोर्ट सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा और जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित मामलों का निपटारा करना होगा।
- क्षेत्रीय और जिला स्तर पर FSLs का विस्तार किया जाए, भौतिक, जैविक, रासायनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों हेतु उन्नत उपकरण लगाए जाएँ, तथा स्थल पर साक्ष्य संग्रह के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- जिला और उप-विभागीय स्तर पर समर्पित फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह दल गठित किए जाएँ।
- पुलिस कर्मियों को साक्ष्य प्रोटोकॉल पर संरचित प्रशिक्षण दिया जाए, DFSS की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कठोर अनुपालन हो और सभी FSLs को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो।
- IITs, NITs और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा हैकाथॉन आयोजित करना भी शामिल है।

फॉरेंसिक विज्ञान

- फॉरेंसिक विज्ञान अपराधों की जाँच या न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की परीक्षा हेतु वैज्ञानिक विधियों और विशेषज्ञता का समुच्चय है।
- इसमें फिंगरप्रिंट और DNA विश्लेषण से लेकर सिंथेटिक ओपिऑइड्स और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण शामिल है।
- यह आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - यह अन्वेषकों को जटिल साक्ष्यों को एकत्रित करने, शीघ्र विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करता है।

- फॉरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना जाँच की गुणवत्ता, समयबद्ध न्याय और दोषसिद्धि दर सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत में संस्थागत ढाँचा

- **फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (DFSS)**: गृह मंत्रालय के अंतर्गत; भारत भर में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का समन्वय करता है।
- **केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (CFSLs)**: देश में 7 CFSLs हैं — चंडीगढ़, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में।
- **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)**: फॉरेंसिक शिक्षा एवं अनुसंधान का प्रमुख संस्थान।
- **राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (FSLs)**: संबंधित राज्य सरकारों के अधीन संचालित।

चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त अवसंरचना**: सीमित और कमज़ोर प्रयोगशालाएँ, राज्यों में असमान उपलब्धता।
- **विशेषज्ञों की कमी**: प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों का अभाव।
- **रिपोर्ट में विलंब**: भारी लंबित मामलों के कारण मुकदमों में देरी और न्याय वितरण कमजोर।
- **अपराध स्थल प्रबंधन में कमी**: पुलिस प्रशिक्षण की कमी से साक्ष्य संग्रहण में त्रुटियाँ और प्रदूषण।
- **जाँच में सीमित उपयोग**: वैज्ञानिक साक्ष्यों के बजाय स्वीकारोक्ति पर निर्भरता, जबकि भारतीय न्याय संहिता में सुधार किए गए हैं।

सरकारी पहल

- **अवसंरचना विकास**: जम्मू, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में 08 नई CFSLs स्थापित करने की स्वीकृति।
- **ई-फॉरेंसिक्स एप्लिकेशन**: डिजिटल डेटा भंडार हेतु विकसित, जिससे डेटा सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित हो।
- **राष्ट्रीय फॉरेंसिक डेटा केंद्र**: "महिला सुरक्षा" योजना के अंतर्गत स्वीकृत, सभी प्रयोगशालाओं से प्राप्त डेटा का व्यवस्थित भंडारण।
- **NFSU की स्थापना**: 2020 में संसद के अधिनियम द्वारा, प्रशिक्षित फॉरेंसिक जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु।
- **फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण हेतु योजना**: ₹420 करोड़ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु और ₹496.66 करोड़ मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत।

मालिमथ समिति

- मालिमथ समिति 2000 में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु गठित की गई।
- इसने जाँच, मुकदमे की प्रक्रिया और दंड निर्धारण की समीक्षा की।
- **फॉरेंसिक विज्ञान पर सिफारिशें**:
  - आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विज्ञान का एकीकरण।
  - स्वीकारोक्ति-आधारित से साक्ष्य-आधारित जाँच की ओर बदलाव।
  - राज्यों में FSLs का विस्तार और आधुनिकीकरण।
  - फॉरेंसिक प्रथाओं हेतु समान राष्ट्रीय मानक विकसित करना।
- ये सिफारिशें भारतीय न्याय संहिता जैसे सुधारों में परिलक्षित हैं, जिसमें गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक जाँच अनिवार्य की गई है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।
- सरकार को प्रयोगशालाओं और तकनीक में निवेश बढ़ाना चाहिए।
- समान राष्ट्रीय मानकों का विकास आवश्यक है।
- पुलिस और न्यायपालिका के लिए नियमित क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक है।

स्रोत: IE

रूफटॉप सौर ऊर्जा: राज्यों के लिए प्रोत्साहन योजना की योजना बना रही है सरकार

संदर्भ

- एक करोड़ पीएम सूर्य घर परिवारों का लक्ष्य 2027 तक पूरा करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) राज्यों को 'यूटिलिटी लीड एग्रीगेशन (ULA)' मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

परिचय

- MNRE राज्यों को आकर्षित करने के लिए पीएम सूर्य योजना को अधिक आकर्षक बनाने हेतु एक प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रहा है।
- राज्य विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) उन परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का व्यय वहन करेंगी जो इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं या जिनके पास पर्याप्त अवसंरचना नहीं है।
- MNRE ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लद्दाख, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, तेलंगाना, बिहार एवं त्रिपुरा में 12.58 लाख (ULA) प्रतिष्ठानों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की है।

भारत की ऊर्जा हिस्सेदारी

- वर्ष 2025 तक देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 GW पार कर **509.6 GW** तक पहुँच गई है।
- कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2025 में **262.74 GW** तक पहुँच गई है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का **51.5%** है।
- सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2025 में **132.85 GW** तक पहुँच गई है।
- जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत: **244.80 GW** (लगभग 49%), जिसमें कोयला लगभग आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है और भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 74% योगदान देता है।
- वैश्विक स्तर पर भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में **तीसरे**, पवन ऊर्जा क्षमता में **चौथे** और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में **चौथे** स्थान पर है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

- यह योजना 2024 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य छत पर सौर पैनल स्थापित कर परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
- लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ परिवारों में छत पर सौर ऊर्जा (RTS) प्रतिष्ठान स्थापित करना।
- योजना के अंतर्गत परिवारों को **40% तक सब्सिडी** प्रदान की जाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सुलभ और किफायती बनती है।
- **पात्रता:**

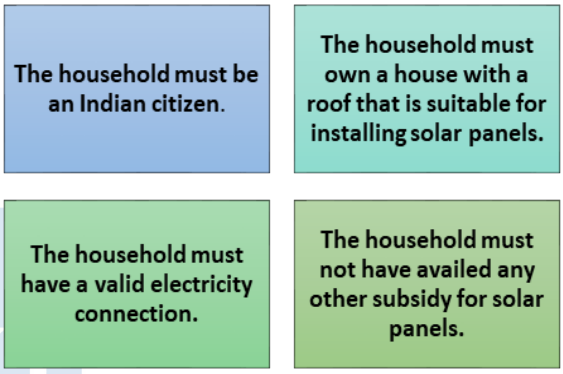

- **मॉडल सौर गाँव:**
  - इस घटक हेतु ₹800 करोड़ का आवंटन किया गया है, प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गाँव को ₹1 करोड़ प्रदान किया जाएगा।
  - **पात्रता:** गाँव राजस्व गाँव होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000)।
  - **उद्देश्य:** सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और गाँव समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त करना।

Average Monthly Electricity Consumption (units)	Suitable Rooftop Solar Plant Capacity	Subsidy Support
0-150	1-2 kW	₹ 30,000/- to ₹ 60,000/-
150-300	2-3 kW	₹ 60,000/- to ₹ 78,000/-
> 300	Above 3 kW	₹ 78,000/-

PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक परिवारों को लाभ पहुँचाने वाले शीर्ष 5 राज्य

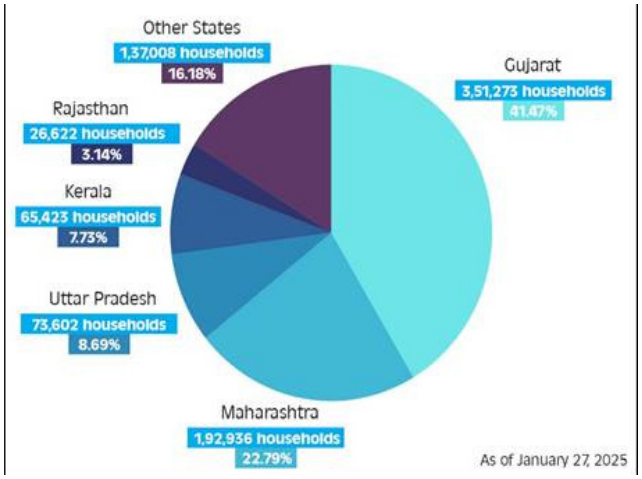

योजना के प्रमुख लाभ

- सब्सिडी युक्त छत पर सौर पैनल प्रतिष्ठानों के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा लागत में उल्लेखनीय कमी।
- सरकार को वार्षिक लगभग ₹75,000 करोड़ की बचत।
- नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में वृद्धि और लगभग **720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी**।
- आवासीय क्षेत्र में छत पर प्रतिष्ठानों के माध्यम से **30 GW सौर क्षमता** का संवर्धन।
- परिवारों को अतिरिक्त उत्पन्न विद्युत DISCOMs को बेचकर आय अर्जित करने का अवसर।
- विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित **17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार** का सृजन।

आगे की राह

- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य — एक करोड़ सौर ऊर्जा संचालित घरों — को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
- यह योजना न केवल विद्युत लागत कम कर रही है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

सॉइल सखियाँ(Soil Sakhis)

संदर्भ

- पश्चिम महाराष्ट्र के सूखा-प्रवण जिलों में "सॉइल सखियाँ" पहल महिलाओं को सशक्त बना रही है, साथ ही मृदा के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में सुधार कर रही है।

पहल के बारे में

- 2023 में **मन्न देशी फाउंडेशन** के कृषि और जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ।
- ग्रामीण महिलाओं को "सॉइल सखियाँ" के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे मृदा परीक्षण और वैज्ञानिक खेती की पद्धतियों को बढ़ावा दें।
- सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर और पुणे जिलों में लागू।

प्रमुख विशेषताएँ

- सॉइल सखियाँ नमूने एकत्र करती हैं और प्रयोगशालाओं के माध्यम से मृदा परीक्षण को सुगम बनाती हैं।
- किसानों को फसल और पोषण प्रबंधन हेतु उपयोगी रिपोर्ट प्राप्त होती है।
- सॉइल सखियाँ प्रति माह लगभग ₹8,000–₹10,000 कमाती हैं (पेट्रोल भत्ता अलग)।

स्रोत: TH

FSSAI पशु आहार का विनियमन नहीं कर सकता

संदर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस विनियमन को निरस्त कर दिया, जिसमें दूध उत्पादन करने वाले पशुओं के लिए गोवंशीय या सूअर के मांस अथवा हड्डी के चूर्ण वाले पशु-आहार की बिक्री पर रोक लगाई गई थी।

परिचय

- FSSAI ने दूध और मांस उत्पादन करने वाले पशुओं के लिए मांस या हड्डी के चूर्ण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, अपवादस्वरूप मुर्गी, सूअर एवं मछली के लिए अनुमति थी।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि FSSAI को पशु-आहार हेतु मानक निर्धारित करने का अधिकार नहीं है; इसका अधिकार क्षेत्र केवल मानव उपभोग हेतु खाद्य पदार्थों तक सीमित है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- **स्थापना:** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत।
- **प्रशासनिक प्राधिकरण:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना ताकि मानव उपभोग हेतु सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।
- **मुख्यालय:** दिल्ली।
- FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते हैं।

स्रोत: TH

मंत्रिमंडल द्वारा फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरक सब्सिडी में 12% वृद्धि को स्वीकृति प्रदान

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम 2026 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों हेतु पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) दरों में **12% वृद्धि** को स्वीकृति प्रदान की है।

पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के बारे में

- **प्रारंभ:** 2010 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा।
- **उद्देश्य:**
  - पोषक तत्वों में संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - सरकार के सब्सिडी भार को तर्कसंगत और नियंत्रित करना।
  - कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन को दक्ष बनाना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - सब्सिडी पोषक तत्व-केंद्रित होती है, अर्थात् यह निम्न तत्वों की मात्रा पर आधारित होती है:
    - नाइट्रोजन (N)
    - फॉस्फोरस (P)
    - पोटैशियम (K)
    - सल्फर (S)
  - योजना में 28 अधिसूचित P&K उर्वरक ग्रेड शामिल हैं, जिनमें DAP और SSP जैसे सामान्य उत्पाद सम्मिलित हैं।
  - **यूरिया NBS के अंतर्गत नहीं आता** और अलग सब्सिडी व्यवस्था में रहता है।

स्रोत: TH

11 वर्ष पूर्ण: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

परिचय

- **प्रारंभ:** 2015
- **उद्देश्य:** गैर-निगमित और गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधियों हेतु छोटे व्यवसायों को समर्थन देना।
- **लक्षित समूह:** नए उद्यमी, छोटे दुकानदार, महिला उद्यमी, रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता, कारीगर, फल/सब्ज़ी विक्रेता और छोटे विनिर्माण इकाइयाँ।
- **ऋण प्रदाता:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFIs) और NBFCs।

- **मुद्रा ने चार उत्पाद विकसित किए:**
  - **शिशु:** ₹50,000/- तक के ऋण।
  - **किशोर:** ₹50,000/- से ₹5 लाख तक के ऋण।
  - **तरुण:** ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण।
  - **तरुण प्लस:** ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋण।
- ऋण विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में टर्म फाइनेंसिंग एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कवर करते हैं, जिनमें कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ जैसे पोल्ट्री, डेयरी और मधुमक्खी पालन शामिल हैं।
- ब्याज दर RBI दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है, पुनर्भुगतान शर्तें लचीली हैं।

स्रोत: PIB

स्किल्स आउटकम्स फंड

संदर्भ

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने स्किल्स आउटकम्स फंड स्थापित करने हेतु अभियान प्रारंभ किया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराना।
- यह पहल स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड की उपलब्धियों पर आधारित है, जो 2021 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा प्रारंभ किया गया भारत का प्रथम परिणाम-आधारित प्रोजेक्ट था।
  - स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड ने निजी क्षेत्र के संसाधनों और ज्ञान का उपयोग किया, जिसमें केवल प्रशिक्षण पूर्णता के बजाय वास्तविक रोजगार प्राप्ति एवं दीर्घकालिक रोजगार को प्राथमिकता दी गई।
- NSDC इस नए फंड का नेतृत्व और प्रबंधन भी करेगा।
- वित्तीय सहायता सीधे प्रमाणित करियर परिणामों से जुड़ी होगी, विशेष रूप से नियुक्ति और निरंतर रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

स्रोत: PIB

उल्कापिंड (Meteorites)

संदर्भ

- आर्टेमिस-II मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर उल्कापिंडों के प्रभाव देखे।

उल्कापिंड क्या हैं?

- उल्कापिंड किसी धूमकेतु, क्षुद्रग्रह या उल्का-पिंड से उत्पन्न ठोस अवशेष होते हैं, जो बाह्य अंतरिक्ष से आते हैं और वायुमंडल से गुजरकर ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुँच जाते हैं।

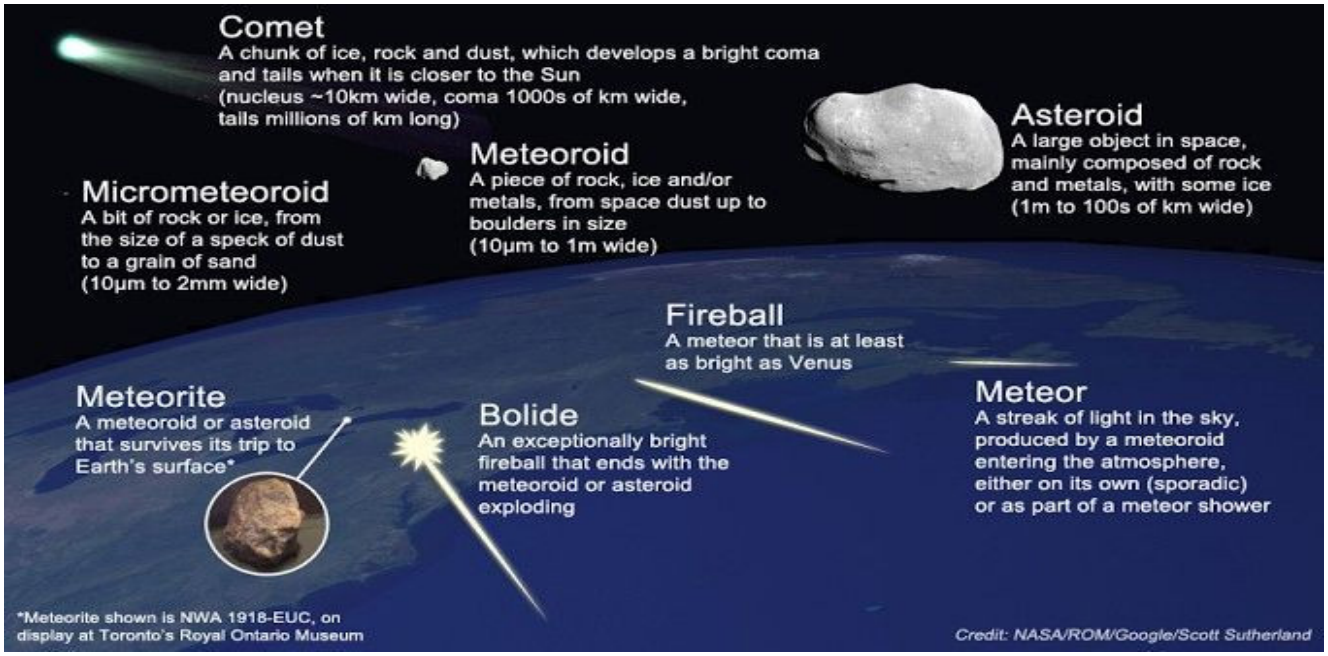

- **उल्कापिंड के प्रकार**
  - **शैलयुक्त (Stony):** मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से बने।
  - **लौहयुक्त (Iron):** लोहे और निकल से समृद्ध।
  - **शैल-लौहयुक्त (Stony-Iron):** धात्विक और शैल पदार्थ का मिश्रण।

आर्टेमिस-II मिशन के बारे में

- आर्टेमिस-II मिशन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मानवयुक्त चंद्र फ्लाईबाई मिशन है।
- इसे 1 अप्रैल 2026 को प्रक्षेपित किया गया, जो 1972 के अपोलो-17 के बाद चंद्रमा के निकट प्रथम मानव मिशन है।
- इस मिशन में ओरियन अंतरिक्ष यान पर चार अंतरिक्ष यात्री सवार हैं।
- यह 10-दिवसीय मिशन है, जिसमें चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर वापसी होती है, बिना चंद्रमा पर उतरने के।

स्रोत: TH

जम्मू और कश्मीर में झीलों का क्षरण

संदर्भ

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पाया है कि 1967 से अब तक जम्मू और कश्मीर की लगभग आधी झीलें समाप्त हो चुकी हैं तथा उन्होंने पारिस्थितिक संकट की चेतावनी दी है।

प्रमुख कारण

- अनियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ और अतिक्रमण।
- संस्थागत समन्वय की कमजोरी।
- एकीकृत नियामक ढाँचे का अभाव, जिसके कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख झीलें

- **डल झील:** प्रसिद्ध ताजे जल की झील, हाउसबोट्स, शिकारे और तैरते बाग़ (राड) के लिए जानी जाती है।
- **वुलर झील:** भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, जो विवर्तनिक गतिविधि से बनी है। इसे झेलम नदी पोषित करती है और यह रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **पैंगोंग त्सो:** उच्च हिमालयी लवणीय जल की झील, जो तिब्बत तक फैली है। इसके बदलते रंग और सामरिक महत्व प्रसिद्ध हैं।
- **त्सो मोरीरी:** एक अन्य उच्च हिमालयी लवणीय झील, यह भी रामसर स्थल है।
- **मानसबाल झील:** क्षेत्र की सबसे गहरी ताजे जल की झीलों में से एक, जिसके किनारे नूरजहाँ द्वारा निर्मित मुगल उद्यान जरोक़ा बाग़ स्थित है।
- **होकर्सर आर्द्रभूमि:** "आर्द्रभूमियों की रानी" के रूप में प्रसिद्ध।
- **सुरिनसर झील और मानसर झील:** जुड़वाँ झीलें, दोनों रामसर स्थल हैं।

स्रोत: DTE

एक्सरसाइज साइक्लोन-IV

संदर्भ

- भारतीय सेना मिस्र में आयोजित एक्सरसाइज साइक्लोन-IV के चौथे संस्करण में भाग ले रही है।

परिचय

- **प्रारंभ:** 2023
- यह भारत-मिस्र द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बलों का सैन्य अभ्यास है।
- **उद्देश्य:**
  - पेशेवर विशेषज्ञता का परस्पर आदान-प्रदान।
  - मैत्री और सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - एक-दूसरे की सैन्य परंपराओं और संस्कृतियों की गहन समझ विकसित करना।

स्रोत: TH

■■■■